न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन जिला करौली

पीठासीन अधिकारी – श्री सुखाराम पिण्डेल (आर0ए0एस)

प्रकरण संख्या– 89/2012

जीसीएमएस– 2012/00457

दायर दिनांक– 17.07.2012

निर्णय दिनांक– 13.02.2024

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थी
1. रामाधार पुत्र भूरसिंह जाति जाट निवासी विजयपुरा तहसील सूरौठ 2. मुंशीराम पुत्र ख्याली राम जाति जाट निवासी विजयपुरा तहसील सूरौठ 3. बदनसिंह पुत्र नाहरसिंह जाति जाट निवासी विजयपुरा तहसील सूरौठ		1. जगराम पुत्र हरकण्ठ जाति जाट निवासी विजयपुरा तहसील सूरौठ

प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति– 1.श्री संजय शर्मा अधिवक्ता, प्रार्थीगण।

2.श्री सीताराम गुर्जर अधिवक्ता,अप्रार्थी।

–::निर्णय::–

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थी के विरूद्ध प्रार्थना–पत्र बावत अस्थायी निषेधाज्ञा पेश कर प्रार्थना पत्र के मद नं01 में दर्ज किया है कि प्रार्थीगण ने अदालत हाजा में अप्रार्थी के विरूद्ध उक्त उनवानी दावा तकास्मा व स्थायी निषेधाज्ञा का पेश कर दिया है,जिसमें सायलान को सफलता मिलने की पूरी पूरी उम्मीद है। प्रार्थना–पत्र के मद नं 02 में दर्ज किया है कि कृषि भूमि खसरा नंबरान् 598, 604, 606 तथा 608 वाकेग्राम विजयपुरा तहसील सूरौठ [illegible] करौली में स्थित है। खसरा नंबर 598, 604, 606 रकवा 2.0 है [illegible] प्रार्थीगण रिकॉर्डेड खातेदार है, तथा शेष 1/2 भाग का अप्रार्थी रिकॉर्डेड खातेदार है। खसरा नम्बर 6[illegible] रकबा 1.73 है0 के प्रार्थीगण 1/4 भाग के तथा 3/4 भाग का अप्रार्थीगण रिकॉर्डेड [illegible] काश्तकार है। राजस्व रिकार्ड जमाबंदी संम्वत 2066 से 2069 संलग्न है। प्रार्थना–पत्र के मद नं03 में दर्ज किया है कि उपरोक्त भूमि मुतजिका मद नं 02 प्रार्थना–पत्र को हर दो फरीकेन ने काश्तकारी की सुविधा तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.02.22 12:36:06 IST
Reason: SelfAttested

एक चक बनाने के उद्देश्य से 10 –12 साल पूर्व मिल बैठकर बांट रखा है, खसरा नंबर 598 के 16 ऐयर दक्षिणी भाग तथा खसरा नंबर 604 एवं 606 के संपूर्ण रकवा कुल 1.430 हे0 प्रार्थीगण के हिस्सा की भूमि है। प्रार्थीगण ने अपने हिस्से में आई भूमि खसरा नंबर 598 का 16 ऐयर, खसरा नंबर 604 का संपूर्ण भाग 49 ऐयर तथा खसरा नंबर 606 रकवा 78 ऐयर कुल रकवा 1.43 ऐयर एक चक बना रखा हैं। खसरा नंबर 604 तथा 608 की दरमियानी मेंड पर प्रार्थीगण ने अपने धन तथा श्रम से लाखो रूपया खर्च कर सिमेंटेड फरमा भरकर बोरिंग करा रखी है। बोरिंग पर प्रार्थीगण का 8 हार्स पावर का टॉपलेंड मार्को इंजन रखा हैं जिससे प्रार्थीगण अपने हिस्से में आई उक्त भूमि की पिलाई करते है। प्रार्थना–पत्र के मद नं 04 में दर्ज किया है कि आराजीयात खसरा नंबर 608 का संपूर्ण रकवा 1.7300 हे0 तथा खसरा नंबर 598 का उत्तरी भाग 0.57 हे0 कुल 2.300 हे0 अप्रार्थी के हिस्से में आया जिसे अप्रार्थी काश्त करता है। तथा अप्रार्थी ने खसरा नंबर 608 रकवा 1.73 हे0 के 3/4 भाग को बडौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक प्रतिवादी नंबर 03 के यहॉं रहन रखा है।

प्रार्थना–पत्र के मद नं05 में दर्ज किया है कि प्रार्थीगण अपने हिस्से में आई भूमि खसरा नम्बर 598 के दक्षिणी भाग 16 ऐयर में खसरा नंबर 604 तथा 606 में सिचाई के साधन बोरिंग करके काफी सुधार किये हैं, उसकी उपजाऊ क्षमता बढाई , इसलिए प्रार्थीगण के हिस्से की भूमि की कीमत बढ गई और अप्रार्थी के दिल में प्रार्थीगण के हिस्से की भूमि को हडपने की बदनीयती हो गई। अप्रार्थी अपने मॉ जाये भाई जसराम को मारपीट कर जमीन जायदाद छीनकर गांव से भाग दिया। इसलिए जसराम ने अपने कब्जे व खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 604 , 606, 598, 608 का अपना हिस्सा जरिये पंजीकृत व्ययनामा दिनांक 18.08.1998 को प्रार्थीगण को विक्रय कर कब्जा करा दिया, जिसके आधार पर विवादित भूमि की खातेदारी प्रार्थीगण के हक में हो गई। उक्त खरीद की रंजिश की वजह से अप्रार्थी प्रार्थीगण से द्वेष रखता है।

प्रार्थना–पत्र के मद नं 06 में दर्ज किया है कि वाका दिनांक 15.07.2012 का है। प्रार्थीगण अपने हिस्से में आई भूमि मुताबिक मद नंबर 03 प्रार्थना–पत्र में बारिश होते ही फसल आषाढ संवत् 2069 में बाजरा तिल काश्त कर रहे थे तो खसरा नंबर 598 व 606 में बाजरा तिल काश्त कर दी व खसरा नंबर 604 को अप्रार्थी व उसके लडको ने झगडा करके काश्त नही करने दी और ये धमकी दी की प्रार्थीगण को उसके हिस्से में काश्त नही करने देगें हाथ–पॉव तोड देंगे व बटवारा करने से मना कर दिया । प्रार्थीगण का प्राईमाफेसी केस अपूरणीय क्षति व सुविधा का संतुलन बख... है। इसलिए अप्रार्थी को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबंद फरमाया जावे की वह स्वय ... दीगर व्यक्तियो की मदद से प्रार्थीगण के हिस्से की भूमि मुताबिक मद नंबर 03 प्रार्थना पत्र के अनुसार खसरा नंबर 598 के दक्षिणी भाग 16 ऐयर तथा खसरा नंबर 604, 606 के संपूर्ण रकवे के कब्जा काश्त मे कोई दखलंदाजी नही करे व प्रार्थीगण को शांति पूर्वक काश्त करने देवें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pinder
Date: 2024.02.22 12:36:06 IST
Reason: SelfAttested

अतः प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी जरिये वकील प्रकरण में उपस्थित होकर अपना जबाब प्रार्थना–पत्र पेश कर प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के समस्त मदों को अस्वीकार कर विशेष कथन में कहॉ कि दावा हाजा दो प्रतियो में प्रत्येक पेज पर अपने हस्ताक्षर करके प्रस्तुत नही किया। इसलिए दावा व प्रार्थन–पत्र काबिल रिजेक्शन है। प्रार्थीगण खसरा नंबर 598 के दक्षिणी भाग 15 ऐयर व खसरा नंबर 604, 606 के संपूर्ण रकवे की खातेदारी कराने का अधिकारी नही है। प्रार्थीगण ने जिन दस्तावेजो पर दावा व प्रार्थना–पत्र दायर किया है वह राजस्व रिकॉर्ड की सत्यापित प्रतियॉ नही है। प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र के मद नंबर 02 में वर्णित भूमि के किसी भी भाग पर कोई कब्जा नही है बल्कि अप्रार्थी जगराम व जसराम का कब्जा है। विवादित आराजीयात् अप्रार्थी जगराम ने ही बोरिंग करवाकर टॉपलेंड का इंजन रखा है जिससे वह काश्त करता आ रहा है तथा विवादित आराजीयात् के खसर नंबर 604 ,606 , 598, 608 के 1/2 भाग का बिना बैद्य प्रतिफल दिये , बिना कब्जा प्राप्त किये दिनांक 18.08.1998 को प्रार्थीगण द्वारा जसराम से अपने हक में कराये गये गलत व नुमाईशी रजिस्टर्ड विकय पत्र के आधार पर विवादित आराजीयात् मे कोई हक हकूब प्रार्थीगण को प्राप्त नही होते है। विवादित आराजीयात् के किसी भी भाग पर प्रार्थीगण का कोई कब्जाकाश्त नही है। कब्जे की दादरसी चाहे बगैर प्रार्थीगण का चाही गई दादरसी का प्रकरण चलने योग्य नही है। प्रार्थना–पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज फरमाया जावे।

वकील प्रार्थीगण ने दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2066–69 खसरा नम्बर 598,604,606 एवं जमाबंदी सम्वत 2066–69 खसरा नम्बर 608 तथा नक्शा ट्रेस की प्रति पेश की हैं।

वकुलाय फरीकेन उपस्थित। वकुलाय फरीकेन की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया है और प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है। इसके विपरीत वकील अप्रार्थी ने जबाव प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया है और प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

वकुलाय फरीकेन की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। प्रार्थीगण की ओर से दस्तावेजी सबूत फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2066–69 के अनुसार आराजी खसरा नंबर 598 रकवा 0.73 है0, 604 रकवा 0.49 है0,606 रकवा 0.78 है0, 608 रकवा 3.73 है0 वाके ग्राम विजयपुरा तहसील सूरौठ की खातेदारी जगराम पुत्र हरकंठ हिस्सा 1/2, रामाधार पुत्र भुरी सिंह, मुंशीराम पुत्र ख्याली राम, बदनसिंह पुत्र नाहरसिंह हिस्सा 1/2 जाति जाट सा.देह के खातेदार काश्तकार है तथा नकल जमाबंदी संवत् 2066–69 के अनुसार खसरा न0 608

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukaa Ram Pindel
Date: 2024.03.22 12:36:06 IST
Reason: SelfAttested

13/2/24

रकबा 1.73 है0 वाके ग्राम विजयपुरा तहसील सूरौठ की खातेदारी जगराम पुत्र हरकंठ हिस्सा 3/4, रामाधार पुत्र भुरी सिंह, मुंशीराम पुत्र ख्याली राम, बदनसिंह पुत्र नाहरसिंह हिस्सा व. हिस्सा 1/4 जाति जाट सा0देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 598 रकवा 0.73 है0, 604 रकवा 0.49 है0,606 रकवा 0.78 है0, 608 रकवा 1.73 है0 कुल रकबा 3.73 है0 वाके ग्राम विजयपुरा तहसील सूरौठ में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी रिकोर्डेड सहखातेदार काश्तकार है, जो दर्ज रिकार्ड है। अप्रार्थी के अधिवक्ता ने दौराने बहस जबाव प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया है और प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया है, जिनके अनुसार रिकोर्डेड सहखातेदार काश्तकार को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जा सकता । प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी विवादित आराजीयात में रिकोर्डेड सहखातेदार काश्तकार है तथा प्रत्येक रिकोर्डेड सहखातेदार का संयुक्त खातेदारी की भूमि के प्रत्येक इंच भू–भाग पर कब्जा काश्त माना जाता है जब तक कि उन संयुक्त खातेदारों के मध्य विधिवत रूप से बंटवारा होकर पृथक– पृथक खाता कायम नहीं हो जावे। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना कानूनन न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। इस प्रकार प्रार्थीगण का प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति का बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं होता है बल्कि अप्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित है। ऐसे हालात में प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थी खारिज योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थी विवादित आराजी खसरा नम्बर 598 रकवा 0.73 है0, 604 रकवा 0.49 है0,606 रकवा 0.78 है0, 608 रकवा 1.73 है0 कुल रकबा 3.73 है0 वाके ग्राम विजयपुरा तहसील सूरौठ स्वीकार योग्य नही होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैंसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर मूल दावा के साथ शामिल मिसल रहे।

निर्णय आज दिनांक 13.02.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

13/2/24

(सुखाराम पिण्डेल)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.02.22 12:36:06 IST
Reason: SelfAttested